

20/25

19.09.25

निर्णय

पाथी श्री राहित कुमार द्वारा ~~...~~ गंगाराम के नाम पर प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आराजू में नमूनेदार नमूनेदार जैपल जिला नारा की खाता नमूनेदार संख्या 2082 के खाता संख्या 69 में नमूनेदार नमूनेदार नाम जमिनी राहित कुमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है जिसे सम्मानजनक राहित कुमार अंकित किया जावे। पाथी के आवेदन पत्र भी जाय फाइल जैपल से करवाने पर पटवारी ने राहित कुमार के बजाय राहित कुमार करना उचित बताया। तहसीलदार ... ने भी ... खाते में राहित कुमार के बजाय ... करना उचित बताया।

उक्त परवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 130 राजस्थान गृहसूचका अधिनियम 1957 एच नियम 369 राजस्थान गृहसूचका (शु आयेलेख) नियम 1957 के अनुसार ग्राम ... आराजू के खाता संख्या 69 में खातेदार/मैरखातेदार का नाम ... राहित कुमार के स्थान पर सम्मानजनक रूप से ... राहित कुमार दर्ज करवाया जाय आदेश दिया जाता है। तहसीलदार ... तदनुसार नमूनेदार नमूनेदार में दुरुस्ती करें।

उपसमूह अधिकारी  
(Land Record Officer)  
खाराजिली नारा